

प्रेस नोट दिनांक-19.02.2021

(1). आज दिनांक 19.02.2021 को पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री के सत्यनारायण द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल की उपस्थिति में पुलिस लाइंस परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा परेड के निरीक्षण के दौरान रिक्लूट आरक्षियों की वर्दी ठीक करवाने हेतु निर्देशित किया गया। आरटीसी की ड्रिल देखी गई परेड में उपस्थित डाग स्क्वायड का निरीक्षण किया गया एवं डॉग हैंडलर से ड्यूटी के संबंध में पूछा गया एवं डॉग की डाइट के संबंध में जानकारी ली गई। तत्पश्चात परेड में उपस्थित सस्पेंड टोली का निरीक्षण किया गया एवं उनसे सस्पेंशन का कारण पूछा गया तथा यह भी पूछा गया कि आप कब से सस्पेंड हैं।

तत्पश्चात परिवहन शाखा का वार्षिक निरीक्षण किया गया, परेड में आए हुए डायल 112 की टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर के कर्मियों से पूछा गया कि आपने क्या-क्या गुड वर्क किया है तथा पीआरवी के पास मौजूद एमडीटी को चेक किया गया तथा जानकारी ली गई कि किस प्रकार से इवेंट्स प्राप्त होते हैं एवं किस प्रकार से रिस्पांस किया जाता है। पीआरवी कर्मियों से पूछा गया कि क्या फर्जी कॉल भी रिसीव होते हैं। महोदय द्वारा पीआरवी फोर व्हीलर में दंगा नियंत्रण उपकरण, फर्स्ट एड बॉक्स एवं क्राइम सीन से संबंधित किट को खुलवाकर देखा गया। वाहनों की हूटर, इंडिकेटर, फ्लैशलाइट, वाइपर इत्यादि जलवा कर देखा गया। महोदय द्वारा क्राइम सीन की किट को पूर्ण रूप से खुलवा कर देखा गया एवं क्राइम सीन पर किस प्रकार से इस किट का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए क्राइम सीन बनाने के लिए निर्देशित किया गया। मौके पर मौजूद मारकुंडी की पीआरवी टीम गैंग कर्मियों से गैंग से संबंधित गतिविधियों की सूचना के संबंध में जानकारी ली गई तथा पूछा गया कि जनपद में गौरी गैंग के अलावा कोई अन्य गैंग तो सक्रिय नहीं है छोटे मोटे अन्य किसी गैंग के होने की सूचना तो नहीं प्राप्त होती है। पिछले एक सप्ताह में किस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है एवं इन में क्या कार्यवाही की गई है इसके लिए महोदय द्वारा पीआरवी कर्मियों के पास उपस्थित रजिस्टर को चेक किया गया। पीआरवी कर्मियों के पास मौजूद फायर सिलेंडर को चेक किया गया तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इसके इस्तेमाल की पूर्ण विधि पीआरवी कर्मियों को बताएं।

तत्पश्चात एसआई एमटी को निष्प्रयोज्य पड़े सामान को कंडम करवाने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली गई। परिवहन शाखा में कुल कितने कंडम टायर है, इसकी जानकारी ली गई दीमक लगी बिल्डिंग में प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया कि यह पेंट लगवा कर इसे ठीक करवाया जाए गाड़ियों की मरम्मत रजिस्टर का अवलोकन किया गया। जिसमें वाहनों की करायी गयी मरम्मत की रजिस्टर में एंट्री देखी गई। कन्डम रजिस्टर से क्रॉस चेक किया गया की लॉग बुक में इसकी एंट्री की गई है या नहीं। आयल रजिस्टर का मिलान स्टॉक रजिस्टर से करवाया गया एवं डीजल का मिलान स्टॉक बुक से करवाया गया। एसआई एमटी को निर्देशित किया गया कि थानों से जो वाहन आते हैं उनकी मीटर रीडिंग स्वयं देखें तथा यह भी पूछा गया कि क्या किसी ड्राइवर की लापरवाही के संबंध में अपने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की है या नहीं।

महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान क्वार्टर गार्ड में सलामी लेकर शस्त्रागार का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा वर्ष 2020 का फायरिंग रजिस्टर का अवलोकन किया गया जिसमें देखा गया कि कुल कितने कर्मचारियों ने वार्षिक फायरिंग की है एवं कितने फायर किए हैं तथा यह निर्देशित किया गया की वार्षिक फायरिंग के दौरान कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली फायरिंग के लिए उन्हें उनके द्वारा किए गए फायर के अनुसार अंक प्रदान करें जिससे अच्छे फायरर को चिन्हित किया जा सके एवं इन अच्छे फायर की एक टीम बनाई जा सके महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान देखा गया कि थाना पुलिस पीआरबी 112 के कर्मियों एसपी ऑफिस में नियुक्त पुलिसकर्मियों एवं अभियोजन कार्यालय में नियुक्त पुलिसकर्मियों द्वारा वार्षिक फायरिंग की जा रही है अथवा नहीं जिसमें पाया गया कि सभी लोगों द्वारा फायरिंग की जा रही है। कारतूसों का स्टॉक रजिस्टर चेक किया गया जिसमें देखा गया कि किस-किस राइफल के कितने कितने कारतूस हैं कारतूस ओके प्राप्ति संबंधी रजिस्टर का अवलोकन किया गया जिसमें देखा गया कि कहां कब कितने कारतूस प्राप्त हुए हैं। शस्त्रागार के निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा शस्त्रागार में रखे विभिन्न प्रकार के फायरिंग सेल का अवलोकन किया गया

जैसे चिली बम, टियर स्मोक कैंडल, रबड़ बुलेट इत्यादि। महोदय द्वारा शस्त्रागार में रखे नाइट विजन का अवलोकन किया गया एवं प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि जंगल वाले थानों को नाइट विजन प्रदान किए जाएं इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक से पूछा गया कि थानों में शस्त्रों का मिलान कब कब करवाया गया है।

तत्पश्चात महोदय द्वारा स्टोर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा स्टोर मुहर्रि को निष्प्रयोज्य पड़े हुए टेंट को कंडम करवाने हेतु निर्देशित किया गया। स्टोर में कंडम पड़े सामान को ठीक करवाने हेतु निर्देशित किया गया। इसमें बताया गया कि जो सामान प्रयोग में लाया जा सकता है उसकी मरम्मत करवाकर उसे ठीक करवा लिया जाए तथा स्टोर मोहर्रि से पूछा गया कि थानों से जीपी लिस्ट का मिलान कब कब किया गया है।

तत्पश्चात महोदय द्वारा गणना कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया। जिसमें पिछले 3 माह में जिला जज महोदय के गार्ड में कौन-कौन कर्मी ड्यूटी पर लगे रहे इसका अवलोकन किया गया जिस पर गणना मुंशी द्वारा रजिस्टर अच्छे ढंग से बनाए जाने पर महोदय द्वारा उनकी सराहना करते हुए उसे पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी। तत्पश्चात महोदय द्वारा कैश कार्यालय का निरीक्षण कर कैश बुक का अवलोकन किया गया। किसी अधि0/कर्मचारी पर बकाया के शीघ्र बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। पूर्व में पुलिस लाइन रहे आर आई श्री प्रमोद प्रमोद कुमार दुबे द्वारा मैस एडवांस का बकाया का भुगतान नहीं किया गया जिस पर उनके संबंधित पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर उनके वेतन रुकवाने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा आर0ओ0, कैंटीन से कितना कितना धन आता है इसका अवलोकन किया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन में प्रशिक्षणाधीन रिक्लूट आरक्षियों के अन्तः विषयों के क्लास रूम में भ्रमण कर रिक्लूट आरक्षियों से पूछा गया कि ट्रेनिंग कब से चल रही है तथा क्या-क्या सीखा एवं महोदय द्वारा रिक्लूट आरक्षियों से पूछा गया कि भर्ती से पहले व भर्ती के बाद क्या क्या बदलाव महसूस कर रहे है। महोदय द्वारा रिक्लूट आरक्षियों को बताया गया कि फिजिकल फिटनेस अधिक से अधिक करें जिससे आपका शरीर एकदम मजबूत हो जाए इसी ट्रेनिंग के आधार पर आपको 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी करनी है। महोदय द्वारा पूछा गया कि अब सबके दिमाग में होना चाहिए कि मैं सिपाही हूं आपको क्या करना है ये दिमाग में चलते रहना चाहिये।

तत्पश्चात महोदय द्वारा डायल 112 के R O आईपी कार्यालय का निरीक्षण किया गया इस दौरान महोदय द्वारा देखा गया कि डायल 112 मुख्यालय लखनऊ से इवेंट कितने समय पर प्राप्त होता है तथा पीआरवी कर्मी तक कितने समय में भेज दिया जाता है तथा पीआरवी कर्मी द्वारा उस पर कितने समय में रिस्पांस किया जाता है। महोदय द्वारा पिछले महीने कुल कितने कॉल इवेंट प्राप्त हुए हैं इसे देखा गया।

तत्पश्चात जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण कर उनसे पूछा गया कि यहां क्या-क्या कार्य किया जाता है। इस दौरान महोदय द्वारा रात्रि गश्त चेकिंग अधिकारी से संबंधित रजिस्ट्रों का अवलोकन किया गया। महोदय द्वारा पूछा गया कि बैट्री खराब होने पर उसके कंडम की कार्यवाही किस प्रकार से की जाती है तथा अब तक कितनी खराब बैट्रियों की कंडम की कार्यवाही की गई है, कंट्रोल रूम के स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन किया गया।

परेड एवं निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र कुमार राय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राम प्रकाश, सीए बाबू आईजी महोदय, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री जयशंकर सिंह, डायल 112 प्रभारी श्री आर0के0 सिंह, स्टेनो श्री कमलेश कुमार राव एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2), आज दिनांक 18.02.2021 को पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री के सत्यनारायाणा द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल की उपस्थिति में राघव प्रेक्षागार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी व समस्त प्रभारी निरीक्षकों के साथ गोष्ठी की गयी।

महोदय द्वारा सर्वप्रथम पुलिस पेशनर्स के साथ वार्ता कर उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी एवं कहा गया कि व्यायाम निरन्तर करते रहे। सभी पेन्सनर्स से समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। सभी को बताया गया कि गांव में होने वाले लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों से सम्बन्धित सूचना पुलिस को दें। सभी पेन्सनर्स को पुलिस

के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु कहा गया। इस दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि पुलिस पेंशनर्स का सम्मान करें व थानों पर आने वाले पुलिस पेंशनर्स को सम्मान देकर बैठायें व पानी के लिये अवश्य पूंछे तथा उनकी समस्या का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करायें।

2. ह्यूमन ट्रेफिकिंग/मानव तस्करी की कार्यशाला पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रोजेक्टर पर किया गया। इसमें समस्त प्रभारी निरीक्षकों श्री अनिल सिंह यूनिसेफ महिला कल्याण एवं बाल कल्याण द्वारा किशोर इकाई व जिला बाल संरक्षण इकाई व किशोर न्याय बोर्ड के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। इस दौरान बताया गया कि बच्चों को भागीदारी का अधिकार दें व उनकी बातों को अवश्य सुनें। बालश्रम/बालविवाह से सम्बन्धित बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से परिजनों के सुपुर्द न करें बल्कि इनको चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचित कर 1098 के अधिकारियों के सुपुर्द करें।

महोदय द्वारा सर्वप्रथम गोष्ठी के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षकों से उनका परिचय लिया गया तथा निम्नलिखित आदेश निर्देश दिये गये।

1. वर्ष भर में किये गये कार्यों का स्वयं मंथन करने हेतु निर्देशित किया गया कि आपने क्या कार्य किया है।
2. महिला आरक्षियों को महिला आवेदिकाओं के प्रति स्वतंत्र करें जिससे महिला आरक्षी आवेदिकाओं से उनकी समस्याओं को ठीक प्रकार से सुनें व समझ सके तथा आवेदिकाओं को सन्तुष्ट कर सकें।
3. महिला सम्बन्धी अपराधों के घटना स्थल पर महिला आरक्षियों को अवश्य ले जायें।
4. गैंग की रोकथाम हेतु समस्त थाना प्रभारी पूर्ण प्रयास करें व गैंग के सम्बन्ध में जानकारी करने का प्रयास करें एवं जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक को सूचित करें। यह न समझे कि गैंग हमारे थाना क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है।
5. टाप टेन अपराधियों की सूची को अद्यावधिक करते रहें तथा उनके सम्बन्ध में पूर्ण सूचना संकलित करें कि उनके आय के क्या स्रोत हैं, परिवारीजन क्या कर रहे हैं। इनकी गतिविधियों पर पूर्णतयः निगरानी की जाये।
6. चोरी/डकैती व नकबजनी करने वाले अपराधियों का डोजियर बनाया जाये।
7. टाप टेन अपराधियों में उन्हीं अपराधियों को सम्मिलित किया जाये जो अपराध वर्तमान में कर रहे हों।
8. अपने थाने पर 30नि0 व आरक्षियों के साथ प्रतिदिन गणना पर उनका कार्य आवंटित करें तथा अपराधियों के सम्बन्ध में वार्ता करें एवं अपराधियों की स्वयं पूर्ण जनकारी रखें।
9. अवैध शराब/गांजा/शस्त्र व जुआं ये सब सामाजिक अपराध हैं। यह अपराध समाज को बहुत प्रभावित करते हैं। इस पर पूर्णतयः रोक लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
10. व्यक्तिगत अपराध में पुलिस का कार्य विवेचना करना है, विवेचना में किसी को अनावश्यक न परेशान किया जाये। विवेचना निष्पक्ष एवं सत्यता के आधार पर की जाये। पीडित परिवार पर कोई दबाव न डाला जाये व साक्ष्य संकलन विधिसंगत तरीकों से किया जाये।
11. समय का उपयोग करें व सप्ताह में एक दिन नियत करें जिसमें समस्त प्रभारी निरीक्षक सभी 30नि0 से विवेचना के सम्बन्ध में विस्तृत वार्ता करें एवं इसमें लम्बित प्रार्थना पत्र/आईजीआरएस व सम्मन वारण्ट के बारे में भी समीक्षा की जाये।
12. महोदय द्वारा काज लिस्ट के बारे में बताते हुये कहा गया कि काज लिस्ट में देखें कि अपराधी की तारीख कब है। इसके सम्बन्ध में कोर्ट मुहर्रि/पैरोकार से वार्ता प्रतिदिन करें।
13. प्रत्येक रविवार थानों में श्रम दान का कार्य किया जाये जिससे थानों की साफ-सफाई उच्च स्तर की बनी रहे। थानों में खड़े वाहनों पर मुकदमा अपराध संख्या अवश्य अंकित करें।
14. थानों पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान अवश्य दें व उसकी समस्या सही तरीके से सुने व उससे पानी के लिये अवश्य पूंछे। कोशिस करे कि आवेदक को थानास्तर पर ही संतुष्ट किया जाये।
15. दिवसाधिकारी व रात्रि अधिकारी अवश्य बनायें। थाना कार्यालय के बाहर व्हाइट बोर्ड लगाकर दिवसाधिकारी व रात्रि अधिकारी का नाम अवश्य अंकित करायें।
16. महोदय द्वारा कहा गया कि पुलिस की छवि सुधारने में प्रभारी निरीक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

17. गुमशुदगी/लावारिस शव की फोटो एवं उनका विवरण डीसीआरबी के माध्यम से रेंज कार्यालय अवश्य भिजवायें जिससे रेंज के समस्त थानों में उसकी शिनाख्त/तस्दीक करायी जा सके।

मीटिंग के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री रामप्रकाश, सीए पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा, पेशकार पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम बांदा, प्रधान लिपिक/वाचक/स्टेनों पुलिस अधीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक व समस्त प्रभारी निरीक्षक उपस्थित रहें।

(3), पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्री अनुरूद्ध कुमार पाण्डेय पुत्र ओमकार पाण्डेय निवासी रूकमाखुर्द थाना बहिलपुरवा हाल निवास कालूपुर पाही कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पत्नी श्रीमती बबली अपने माता-पिता के साथ मायके चली गयी है। मेरे द्वारा ससुराल जाने पर आ नहीं रही है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त उ0नि0 श्री बैजनाथ यादव दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा। इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनांक 19.02.2021 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर दोनों पक्षों को आपस में सामन्जस्य बिठाकर सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी सैरैया तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 162/2020 धारा 452/354/506 भादवि0 के वांछित अभियुक्त विकास सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी सैरैया
2. आरक्षी दुर्गेश कुमार
3. आरक्षी शिवपाल सिंह

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कन्हैयाबक्श सिंह तथा उनकी टीम द्वारा खन्दोखर नेवरा के पास से अभियुक्त कामता प्रसाद पुत्र चुनकावन निवासी नेवरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री कन्हैयाबक्श सिंह थाना मऊ
2. मुख्य आरक्षी अरविन्द साहनी

(6). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 19.02.2021 एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बस स्टैण्ड/बाजार रोड में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा मन्दाकिनी गेस्ट हाउस कालूपुर मे आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित रहकर, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम मुर्का, रवारी, परानूबाबा मंदिर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।